न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

विनोद बनाम प्रहलाद

मुकदमा संख्या /वर्ष TI : 23 /2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष बिवरण
	12-5-2022	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पूर्व में प्रतिवादी सैरवा। लगायत 10 की एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया। इनके पत्रावली व बहस में उल्लेखित तर्कों का अवलोकन किया, विवेचन से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है। प्रार्थी ने अपने तथ्यों को साबित करने के लिए सबूत पेश कि नहीं किये है। प्रार्थी अपने तर्कों को स्वयं अपने साक्ष्यों से सिद्ध करे। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ना किये जाने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा व अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः ~~प्रार्थना पत्र~~ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:07:09 IST
Reason: SelfAttested